मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6–2–2016–3–एक भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश

विषयः– विभागीय जांच/अपील प्रकरणों को लोक सेवा आयोग की राय हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों में निर्धारित प्रपत्र सहित चैक लिस्ट में जानकारी प्रस्तुत करने हेतु।

संदर्भः–सा.प्र.विभाग का ज्ञापन क सी–6–7–1983–3–1, दिनांक 25.08.1984 क सी–6–1–85–3–1, दि 04.11.1985 क सी–6–2–2009–3–1, दि 15.10.2009 क एफ.–ए–6–1–95/एक (1), दि 16.02.1995 तथा क सी–6–1–2010–3–1, दि 29.01.2010

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संदर्भित ज्ञापन दि 25.08.1984 के साथ एक निर्धारित प्रपत्र संलग्न करते हुऐ निर्देश जारी किये गये थे कि विभागीय जांच एवं अपील इत्यादि अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरणों की विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भर कर आयोग को परामर्श के लिए प्रकरण भेजे जायें। साथ ही सुसंगत अभिलेख भेजें।

2– आयोग द्वारा लेख किया गया है कि उक्त सम्बन्ध में संदर्भित ज्ञापनों द्वारा जारी निर्देशों का पालन नही हो रहा है। प्रकरण अव्यवस्थित होने तथा विन्दुवार टीप उपलब्ध नहीं होने साथ ही सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित किये बिना प्राप्त अभिलेखों के कारण प्रकरण वार–वार विभागों की ओर लौटाये जाते हैं जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है।

3– सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दि 25.08.1984 के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र सहित चैक लिस्ट पुनः संलग्न किये गये हैं। कृपया भविष्य में आयोग को भेजे जाने वाले समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में निर्देशानुसार जानकारी चैक लिस्ट के अनुरूप सुनिश्चित करते हुऐ प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब न हो तथा विलम्ब के कारण उत्पन्न अन्य परेशानियों से बचा जा सके।

4– कृपया उक्त निर्देशों का पालन कडाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 6–2–2016–3–एक भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि, उपसचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर की ओर उनके पत्र क 9730–पेड–2016–जीएस, दिनांक 14.09.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(एम.के.वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ANNEXURE

Particulars relating to the disciplinary case referred to the Madhya Pradesh Public Service Commission with Letter No. . . . .
Dated . . . .

1. Name of accused Officer.

2. Whether temporary/permanent/contract service.

3. Post held substantively if in permanent Service.

   (a) Designation
   (b) Scale of pay
   (c) Pay drawn
   (e) Date from which pay shown against (c) drawn.

4. Post held at present in an Officiating capacity.

   (a) Designation
   (b) Scale of pay
   (c) Pay drawn
   (e) Date from which pay shown against (c) drawn.
   (f) Whether the approval of the M. P. P. S.C. to the Officer's officiating appointment has been obtained in case such approval was necessary under rules (Give the No. and date of the Commission's relevant letter).

5. The next lower post the officer would have held but for his appointment to the present post he is holding.

6. Post if any in which quasi-permanent.

7. Increment.

   (a) Date of next increment in post held substantively
   (b) date of next increment in post in which officiating at present

8. Date of birth

9. Date of joining Government Service

10. Date when due to retire or date of actual retirement in cases of persons who have already retired.

10. (A) (i) Amount of monthly pension admissible.

   (ii) Amount of monthly pension sanctioned.

(B) (i) Amount of gratuity admissible.

(ii) Amount of gratuity sanctioned.

(This information is required only in respect of cases of recovery from or with-holding of pension/ special additional pension).

11. (A) Appointing authority in respect of the post held at present or the authority which actually appointed the person if that authority is higher.

(B) Punishing authority in respect of the post held at present.

(C) Appeal-late authority in respect of the post held at present.

12. Whether an oral enquiry if required under the rules has been held.

13. Name and designation of the Inquiry Officer appointed, if any.

14. Whether all the relevant documents in original, particularly the following have been enclosed with the letter seeking the Commission's advice.

(A) **In the case of original enquiries :**

i. Papers relating to preliminary enquiry, if any.

ii. Suspension Order, if any, (a) order revocing suspension, if any.

iii. Order of the competent Authority for joint/common proceedings where issued if two or more Govt. Servants are involved in the case.

iv. Charge sheet with the statement of inputations of misconduct or misbehaviour and other enclosures.

v. Reply of the accused officer to the charge sheet.

vi. Orders appointing the Inquiry Officer.

vii. Orders appointing the Presenting Officer.

viii. Record of the oral Inquiry :—

(a) Daily order sheets.

(b) Correspondence file of the I. O.

(c) Depositions.

(d) Questions put to the accused officer by the Inquiry Officer.

(e) Statement of Defence before the I. O.

(f) Written briefs of ,—

(i) the presenting officer
(ii) the charged officer

(g) Inquiry Officer's Report.

ix. Miscellaneous documents regarding evidence such as exhibits, statement etc., referred to in items (i) to (ix) above.

x.* Sanctions of the Governor for institution of departmental proceedings where necessary.

* This information is required in case of pensioneers only.

xi.* Show cause notice for withdrawing /withholding the pension/DCRG.

xii.* Reply of the accused officer to the show-cause notice.

(B) **In the case of appeals :**

In addition to the documents specified under (A) above the following :—

* This information is required in case of pensioners only.

(i) Order of the punishing Authority.

(ii) Appeal, if any, of the accused officer.

(iii) Comments on the appeal by the officer against where order an appeal has been filed.

(C) **In the case of petition/Memorials or suo Moto Review**
In addition to the documents specified under (A) & (B) above, the following :—

(i) Order, if any, on the Appeal.

(ii) Petition or memorial, if any, from the accused officer.

(iii) Note indicating the reasons for modifying the existing order of penalty and the precise extent of such modification.

(D)	Miscellaneous documents regarding evidence such as exhibits statements referred to in item 14 (B) and 14 (C) and extracts of relevant Rules, codes, Acts, Judgements, Manuals, etc. referred to in the charge-sheet, statement of allegations, statement of defence, Inquiring Authority's Report, reply to show-cause notice, appeal, petition, Department's Comments.	
15.	Whether a note explaining the factual and procedural points mentioned in the Officer's explanation has been enclosed.	
16.	Whether comments' on procedural points, if any, raised by the officer in his explanation to the charge sheet/reply to show-cause notice/appeal/petition have been give.	**References**
17.	Whether complete and up-to-date confidential roll of the officer has been enclosed.	

Signature ....

Name in Block letters
of officer signing
this statement ....

Designation ....

Date ....

Telephone Number ....

: : चेक लिस्ट : :

आयोग को भेजे जाने वाले विभागीय जांच से संबंधित मामलों में अभिलेखों की जानकारी

		नस्ती एवं पृष्ठ क्रमांक
1	प्रकरण की विस्तृत संक्षेपिका :–	( )
2	सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–6–7/83/3/1, दिनांक 25–08–84 के अनुसार सेवा संबंधी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी :–	( )
3	सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–ए–6–1/95/एक (1) दिनांक 16–2–95 के अनुसार आरोपवार तुलनात्मक विवरण पत्रक	( )
4	आरोप पत्र अभिकथन पत्रक/अभिलेखों एवं गवाहों की सूची मूलतः:	( )
5	आरोप–पत्र के संदर्भ में आरोपी द्वारा प्रस्तुत उत्तर मूलतः	( )
6	जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के नियुक्ति आदेश मूलतः	( )
7	जांचकर्ता अधिकारी का जांच प्रतिवेदन (मूलतः) जांच अधिकारी की आर्डरशीट जांच की नस्ती "अ" एवं "ब" उभयपक्षों के गवाहों के बयान आदि	( )
8	सा.प्र.वि. के आदेश दिनांक 20–08–92 के संदर्भ में अपचारी अधिकारी को जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई है, अथवा नहीं ?	( )
9	शासन यदि जांच प्रतिवेदन से असहमत हुआ है तो जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ शासन की असहमति के स्पष्ट कारण अपचारी अधिकारी को बताये गये हैं अथवा नहीं ?	( )
10	जांच प्रतिवेदन पर आरोपी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मूलतः	( )
11	समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया है, अथवा नहीं ?	( )
12	आरोपी के अभ्यावेदन पर शासन की विस्तृत तथ्यात्मक कंडिकावार टीप–	( )
13	विभागीय जांच प्रकरण से संबंधित शासन की पत्र व्यवहार नस्ती/नोटशीट एवं अनय संगत अभिलेख	( )
14	यदि प्रकरण लोकायुक्त जॉच से संबंधित है तो उसकी स्पष्ट स्थिति/जानकारी	( )

(चेक लिस्ट)

आयोग को भेजे जाने वाले अनुशासनिक कार्रवाई के मामले से संबंधित अभिलेखों की जानकारी ।

1	प्रकरण की विस्तृत संक्षेपिका	( )
2	स.प्र.वि. के आदेश दिनांक 25.08.84 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सेवा संबंधी जानकारी	( )
3	सा.प्र.वि. के ज्ञाप दिनांक 16.02.95 के अनुसार विवरण पत्रक	( )
4	कारण बताओ सूचना पत्र	( )
5	कारण बताओ सूचना पत्र का आरोपी द्वारा प्रस्तुत उत्तर मूलतः	( )
6	आरोपी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर शासन को विस्तृत तथ्यात्मक कंडिकावार टीप	( )
7	शासन को पत्र व्यवहार नस्ती एवं नोटशीट मूलतः	( )

आयोग को भेजे जाने वाले अपील के मामले से संबंधित अभिलेखों की जानकारी ।

1	आरोपी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाई से संबंधित समस्त अभलेख मूलतः	( )
2	विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाई के संबंध में आयोग की राय के उपरांत शासन द्वारा पारित आदेश की प्रति	( )
3	शासन द्वारा पारित आदेश के संबंध में अपीलार्थी द्वारा महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत अपील मूलतः एवं अपील से संबंधित अभिलेख नस्ती	( )
4	अपील पर शासन को बिन्दुवार विस्तुत टीप (विवरण पत्रक, जिसमें अपील में उठाये गये मुद्दे तथा उन पर बिन्दुवार टीप का उल्लेख हो)	( )